संख्या-497/2017/1744/22-2-2016-17(10)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2017***

विषय:- जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रघुवीर पुत्र श्री अनन्तराम, निवासी जनपद इटावा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34885/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक 05.09.2016 दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रघुवीर पुत्र श्री अनन्तराम, निवासी-नगला पासी मौजा आलई थाना-जसवन्तनगर, जनपद-इटावा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दोनों पक्षों के मध्य चुनावी रंजिस को लेकर दिनांक 17.05.1980 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूक व पिस्तौल से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-276/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटावा के आदेश दिनांक 24.02.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.2014 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.09.2016 तक 02 वर्ष 03 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 09 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर समयपूर्व रिहाई का औचित्य नहीं पाया गया।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रघुवीर (बन्दी संख्या-4386/2014) पुत्र श्री अनन्तराम, निवासी-जनपद-इटावा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-497/2017/1744/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in